फर्द–अहकाम

अज अदालत अपर सेशन न्यायाधीश, सिकराय, जिला– दौसा (राज.)

सेशन प्रकरण संख्या– 33/2022, सी.आई.एस. नं.– 33/2022

सी.एन.आर. नं. – आरजेडीएस180008582022

राजस्थान राज्य बनाम खुशीराम

दिनांकः 12.11.2025 :–

1– अपर लोक अभियोजक श्री अमरनाथ शर्मा उपस्थित। अभियुक्त के अधिवक्ता श्री अनिल पोषवाल उपस्थित। अभियुक्त खुशीराम का हाजरी माफी प्रार्थनापत्र पेश किया, जो आज के स्वीकार किया गया है। प्रकरण में दिनांकः 30.10.2025 को अभियोजन की ओर से प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 311 दण्ड प्रकिया संहिता का जवाब पेश करना नहीं चाहा। उक्त प्रार्थनापत्र पर बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

2– दौराने बहस विद्वान अपर लोक अभियोजक का प्रार्थनापत्रों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह कहना है कि प्रकरण में एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 52ए के तहत तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट रेशमा जानवानी के द्वारा दिनांकः 22.06.2020 कार्यवाही का निष्पादन किया गया था। जिनका नाम गवाह सूची अंकित होने से रह गया है जबकि उक्त गवाह प्रकरण का अहम साक्षी है। अतः उक्त गवाह को साक्ष्य सूची में साक्षी संख्या 22 के रूप रखा जाकर तलब किए जाने का निवेदन किया गया है। इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने उक्त तर्को का विरोध करते हुए प्रार्थनापत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया गया है।

3– उभय पक्ष के तर्को पर मनन किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

4– पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थनापत्र में वर्णित साक्षी तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट रेशमा जानवानी के द्वारा प्रकरण में धारा 52ए एन.डी. पी.एस. एक्ट की कार्यवाही की गई है। इसलिए प्रकरण के न्याय निर्णयन में उसकी साक्ष्य लिया जाना महत्वपूर्ण है। अतः प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए अभियोजन की ओर से प्रस्तुत उक्त प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 311 दण्ड प्रकिया संहिता स्वीकार किया जाकर साक्षी श्रीमती रेशमा जानवानी, तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांदीकुई जिला दौसा को साक्ष्य सूची में कम संख्या 22 पर अंकित कर उसके तलब किए जाने का आदेश दिया जाता है।

5– प्रकरण में गवाह संख्या 1, 6 व 21 को जरिए जमानती वारण्ट पांच हजार से तलब किया जावे। पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन दिनांकः 20.11.25 को पेश हो।

(अनामिका सारण)
अपर सेशन न्यायाधीश
सिकराय, जिला दौसा

Scanned with OKEN Scanner